न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 112/2011

छगन लाल आयु 75 वर्ष आत्मज श्री छोटूलाल जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

1. भागोता आत्मज बालू जाति माली निवासी बीचडी ।
2. रामकंवरी आयु बालिग पुत्री बालू जाति माली निवासी ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. नाराणी पुत्री बालू जाति माली निवासी ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. भंवर लाल
   3/2. प्रकाश
   3/3. नृसिंह लाल वयस्क पुत्र माता नाराणी जाति माली निवासी ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   3/4. मनभर बाई
   3/5. लाड बाई
   3/6. बबली वयस्क पुत्रियॉ माता नाराणी जाति माली निवासी ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. सूरज बेवा खूबा जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली ।
5. सुखदेव
6. भंवर लाल
7. महावीर पिसरान श्री खूबा जाति माली निवासीगण बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
8. सीता पुत्री खूबा जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली ।
9. देवा पुत्र औंकार जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली ।
10. फौरया पुत्र औंकार जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली ।
11. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् कलक्टर साहब, बून्दी ।
12. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील हिण्डोली ।
13. सीताराम जी महाराज स्थान बून्दी द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर साहब बून्दी ।
14. रामलाल आत्मज श्री छोटू जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2010 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट मृतक बालू व अन्य ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धा 88 एवं धारा 125 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली में कुल रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी का कब्जा उसके बुजुर्गो के समय से चला आ रहा है । राजस्व रिकॉर्ड में वादी क्रम 01 के नाम के साथ औंकार पुत्र धूला और भूरा पुत्र कंवरा भी अंकित हो रहा है किन्तु इनका इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है और न ही अभी कब्जा है । वादी क्रम 01 को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । वर्तमान में सेटलमेंट ने जो पर्चा जारी किया है उसमें नाम कृषक के नीचे श्री सीताराम महाराज स्थान बून्दी औंकार वल्द धूला, भूरा वल्द कंवरा, लाल्या वल्द अमरा कौम माली देह खातेदार अंकित किया गया है । जमाबन्दी में औंकार वल्द धूला, भूरया वल्द कंवरा, लाल्या वलद अमरा जाति माली खातेदार अंकित हो रहे थे उनका नाम हटा दिया और इसके स्थान पर केवल सीताराम महाराज बून्दी खातेदार अंकित कर दिया । वादी क्रम 01 अशिक्षित काश्तकार व्यक्ति है । वह भूमि पर काबिज होकर काश्त करता हरा उसे राजस्व रिकॉर्ड में जो भी तब्दीलिया की गई उनका ज्ञान नहीं हुआ न ही उसने कभी इस बात की कोई चिन्ता की क्योंकि वह भूमि पर काबिज था और लगान अदा करता चला आ रहा था । राजस्व रिकॉर्ड में श्री सीताराम जी महाराज स्थान बून्दी अंकित हो रहा हैं किन्तु वादी का इस स्थान से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा न ही इनका कोई व्यक्ति वादी के पास लगान लने अथवा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने उपस्थित आया ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.05.2010 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि को उन्होंने नोतोड से फाडकर आबाद किया है तथा काश्त योग्य बनाया है तब से ही अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 06.02.2011 में भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा दर्शाया गया है। आराजी खसरा नम्बर 170 एवं 171 श्री जी साहब बहादुर के हुक्म दिनांक 20.12.42 से माफी में निकाल दी गई थी । अपीलान्ट को इस हुक्म का काई ज्ञान नहीं था । सेटलमेंट में जो पर्चा लगान जारी किया गया है उसमें कृषक के नीचे श्री सीताराम महाराज बून्दी खातेदार

अंकित कर दिया गया है । रेस्पोडेन्टगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने की अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने बालू के उत्तराधिकारियों को खातेदार घोषित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार हैं और उसके हितों पर उक्त निर्णय एवं डिक्री से विपरीत प्रभाव पडा है । अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था उनको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया था । अपीलान्ट का खसरा नम्बर 170 एवं 171 की भूमि पर पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं । अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होना कथन किया है और वादग्रस्त आराजी पर अपना पिछले 60 वर्षो से कब्जा होना बताया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी उनके अभिभाषक द्वारा बताने पर हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 30.06.2017 कको प्राप्त कर । यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय और डिक्री में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है, सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है । अपीलान्ट इस आराजी का खातेदार बन चुका है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से अपीलान्ट पीडित है । अतः धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की आड में रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्टगण ने बुजुर्गो के समय से कब्जा बताते हुए श्री

सीताराम जी महाराज का नाम विलोपित कर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करने के लिए दावा पेश किया गया था जो डिक्री किया गया है जबकि आराजी को अपीलान्ट के पिता ने ही आबाद कर काबिल काश्त बनाया था । पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 06.02.2011 में भी अपीलान्ट का कब्जा बताया गया है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये गये दावे की अपीलान्ट को सूचना नहीं दी गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में पूर्व में अपील इस न्यायालय में मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज की ओर से पेश की गई थी जिसमें इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.08.2018 को निर्णय पारित कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई है । अब अपीलान्टगण के द्वारा पुनः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर यह अपील पेश की है । इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है । अब पुनः अपीलान्ट की अपील सुनने का इस न्यायालय को अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2010 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । इस प्रकरण में पूर्व में एक अपील संख्या 91/2011 मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज की ओर से अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ पेश की गई थी जो इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.08.2018 को स्वीकार की जा चुकी है । उक्त निर्णय से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अंतिम हो चुका है । ऐसी स्थिति में इस अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

14. निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.2.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 112/2011

छगन लाल आयु 75 वर्ष आत्मज श्री छोटूलाल जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. भागोता आत्मज बालू जाति माली निवासी बीचडी ।
2. रामकंवरी आयु बालिग पुत्री बालू जाति माली निवासी ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. नाराणी पुत्री बालू जाति माली निवासी ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. भंवर लाल
   3/2. प्रकाश
   3/3. नृसिंह लाल वयस्क पुत्र माता नाराणी जाति माली निवासी ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   3/4. मनभर बाई
   3/5. लाड बाई
   3/6. बबली वयस्क पुत्रियॉ माता नाराणी जाति माली निवासी ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. सूरज बेवा खूबा जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली ।
5. सुखदेव
6. भंवर लाल
7. महावीर पिसरान श्री खूबा जाति माली निवासीगण बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
8. सीता पुत्री खूबा जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली ।
9. देवा पुत्र औंकार जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली ।
10. फौरया पुत्र औंकार जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली ।
11. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् कलक्टर साहब, बून्दी ।
12. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील हिण्डोली ।
13. सीताराम जी महाराज स्थान बून्दी द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर साहब बून्दी ।
14. रामलाल आत्मज श्री छोटू जाति माली निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2010 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 234/दावा/1998

1. लालू पुत्र श्री अमरा जी जाति माली आयु 80 वर्ष व्यवसाय काश्तकारी निवीस बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. धन्नी बेवा श्री औंकार जी जाति माली आयु 50 वर्ष व्यवसाय काश्तकारी निवीस बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. देवा पुत्र श्री औंकार जाति माली आयु 25 वर्ष व्यवसाय काश्तकारी निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. फोरया पुत्र श्री औंकार जाति माली आयु 22 साल व्यवसाय काश्तकारी निवीस बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. चून्या पुत्र श्री भूरया जाति माली आुय 50 वर्ष व्यवसाय काश्तकारी निवासी बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् कलक्टर साहब, बून्दी ।
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. सीताराम जी महाराज स्थान बून्दी द्वारा श्रीमान् कलक्टर साहब, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2010 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.02.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री विनय सक्सेना एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

14/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा